(2010) 7 एस.सी.आर. 962

एम/एस राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड,

बनाम

एम/एस चौगुले बंधु एवं अन्य

(2006 की सिविल अपील संख्या 5286)

जुलाई 7, 2010

[आफ़ताब आलम और टी. एस. ठाकुर, जे.जे]

अनुबंध- कार्य अनुबंध शुरू में एक वर्ष के लिए दिया गया- गोदी मजदूरों के वेतन में वैधानिक वृद्धि को छोड़कर समान नियमों और शर्तों पर विस्तार योग्य -अनुबंध का विस्तार- अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान मजदूरों के वेतन में हुई वैधानिक वृद्धि के कारण ठेकेदार ने बढ़ी हुई राशि का दावा किया -

उसने अंतिम रूप से देय और देय योग्य भुगतान का भी दावा किया - मध्यस्थों ने बहुमत के निर्णय से ठेकेदार के दावे को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पंचाट को रद्द कर दिया - डिवीजन बेंच ने पंचाट को बरकरार रखा - मानाः मजदूरों की मजदूरी में वैधानिक वृद्धि के आधार पर ठेकेदार वृद्धि के दावे का हकदार नहीं था- अनुबंध के सुसंगत खंड में विस्तारित अवधि के प्रारंभ होने के बाद संशोधन के आधार

पर वृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई है- मध्यस्थों के पास अनुबंध की विशिष्ट शर्तों के खिलाफ पंचाट देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है- हालांकि, ठेकेदार अंतिम भुगतान के लिए दावे का हकदार है - मध्यस्थता.

अपीलार्थी- कंपनी ने शुरुआत में एक वर्ष की अवधि के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं (15.01.1983 से 14-01-1984) निविदा सूचना के खंड 2.03 के अनुसार, गोदी मजदूरों के वेतन में वैधानिक वृद्धि को छोड़कर, अनुबंध को समान नियमों और शर्तों पर अपीलकर्ता के विकल्प पर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था।

प्रतिवादी की निविदा अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार कर ली गई और 14.1.1984 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कार्य स्वीकृत किया गया था। अक्टूबर, 1983 में अपीलकर्ता ने खंड 2.03 के संदर्भ में अनुबंध को 14.1.1985 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। प्रतिवादी कंपनी द्वारा अपीलकर्ता को गोदी मजदूरों के संशोधित वेतन पर विचार करने के लिए कहते हुए विस्तार को स्वीकार कर लिया गया, जो एक वर्ष की अवधि के दौरान आया था। अपीलकर्ता ने जवाब दिया कि खंड 2.03 में 15.1.1984 तक किए गए वैधानिक संशोधनों के कारण बढ़ोतरी पर विचार करने का प्रावधान है, न कि बातचीत के तहत बढ़ोतरी या बाद की तारीख में पूर्वव्यापी प्रभाव से दी गई वृद्धि पर विचार करने के

लिए। उसने प्रतिवादी कंपनी को इस आधार पर 15.1.1984 तक मजदूरी में वृद्धि के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा।

विवाद को तीन मध्यस्थों के एक पैनल के पास भेजा गया था। मध्यस्थों द्वारा दो पंचाट पारित किये गये। बहुमत से निर्णय प्रतिवादी - कंपनी के पक्ष में हुआ। अपीलकर्ता ने मध्यस्थता याचिका दायर की. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने निविदा सूचना के खंड 2.03 के विपरीत मानते हुए पंचाट को रद्द करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने दावे को समय से बाधित भी माना। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दो मध्यस्थों द्वारा पारित बहुमत के पंचाट को बहाल करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

माना:

1.1 उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का यह मानना सही था कि मध्यस्थों द्वारा जिस हद तक अतिरिक्त राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया था, वह अपोषणीय था। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने एक विपरीत, दृष्टिकोण अपनाते हुए और यह मानने में गलती की कि मध्यस्थों द्वारा की गई व्याख्या एक विश्वसनीय व्याख्या थी। [पैरा 15] [974-एफ-जी]

1.2 एनआईटी के खंड 2.03 के नोट में यह परिकल्पना की गई है कि पहले वर्ष के पूरा होने और विस्तारित अनुबंध अवधि की शुरुआत में, लागू दरों को उन संशोधनों के संदर्भ की शुरुआत की तारीख से पहले ही लागू हो चुके हैं। टिप्पणी को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक बार एक विकल्प का प्रयोग करने के बाद विस्तारित अवधि के लिए लागू दर को मजदूरी का संशोधन, यदि कोई हो को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाएगा। ऐसा कोई भी संशोधन आवश्यक रूप से विस्तारित अवधि के प्रारंभ होने की तिथि पर किया जाना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने पर, उक्त दर दूसरे वर्ष के अंत तक स्थिर रहेगी। अनुबंध विस्तारित अवधि के प्रारंभ होने के बाद किसी भी चरण के संदर्भ में दर के निपटान या संशोधन के परिकल्पना नहीं करता है। अन्यथा भी विस्तारित अवधि के लिए कोई अनुबंध केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब उस अवधि के लिए लागू दरों का निपटान हो चुका है या सुनिश्चित किये जाने योग्य है। 15 जनवरी, 1984 के सन्दर्भ में वास्तव में निर्धारित या निर्धारित की जाने वाली दरें, यानी वह तारीख जब विस्तारित अवधि शुरू हुई, उस तारीख तक मजदूरी में किए गए संशोधन शामिल हो सकते हैं। गौदी मजदूरों के वेतन में कोई संशोधन जो एम. डी. एल. बी. द्वारा 15 जनवरी 1984 के बाद दिए गए आदेश की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, भले ही ऐसा संशोधन विस्तारित अवधि के प्रारंभ की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से किया गया हो। टिप्पणी

इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है कि पूर्वव्यापी रूप से किए गए संशोधन का कोई परिणाम नहीं होगा। (पैरा -12) (973 ए-एफ)

1.3 अनुबंध के विस्तार को स्वीकार करते समय, प्रतिवादी- ठेकेदार ने केवल एम. डी. एल. बी. द्वारा पिछले वर्ष के दौरान, वेतन में वैधानिक संशोधन का उल्लेख किया था। चूंकि स्वीकृति पत्र 7 दिसंबर 1983 का है, इसलिए ठेकेदार जिस वैधानिक संशोधन पर विचार करना चाहता था, वह 1983 से पहले के संशोधन थे, न कि अनुबंध की विस्तारित अवधि के बाद किसी भी समय किए गए संशोधन। 7 दिसंबर, 1983 के पत्र के जवाब में भेजे अपीलार्थी के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1984 ने प्रतिवादी को यह स्पष्ट कर दिया कि एनआईटी के खंड 2:03 में 15 जनवरी, 1984 के बाद के संशोधन के आधार पर वृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई है। भले ही ऐसे संशोधनों पर गौदी श्रमिकों द्वारा एम.डी.एल.बी. के साथ पहले से ही चर्चा या बातचीत की जा रही थी [पैरा 13 और 14] (973-जी-एच, 974-ए, सी-डी)

2. एक मध्यस्थ पार्टियों के बीच निष्पादित अनुबंध की के बीच निष्पादित अनुबंध की विशिष्ट शर्तों के विपरीत कोई पंचाट नहीं दे सकता है। हालांकि यह सच है कि अदालतें मध्यस्थों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों और यहां तक कि कानून के प्रश्नों पर व्यक्त की गई राय, यदि कोई हो, के प्रति सम्मान दिखाती हैं। निर्धारण के लिए उन्हें संदर्भित किया

जाता है, फिर भी यह उतना ही सच है कि मध्यस्थों के पास पक्षकारों के बीच निष्पादित अनुबंध की शर्तों के विरूद्ध पंचाट देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। [पैरा 16] [974-एच: 975-ए-बी]

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम जे.सी. बुधराजा, सरकार और खनन ठेकेदार (1999), 8 एससीसी 122, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन (2003) 8 एससीसी 154 एमडी, सेना कल्याण आवास संगठन बनाम सुमंगल सर्विसेज (पी) लिमिटेड (2004) 9 एससीसी, 619; एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य एआईआर 1992 एससी 232, जीवराज भाई उजमशी शेठ और अन्य वी. चिंतामनराव बालाजी और अन्य एआईआर 1965 एससी 214, राजस्थान राज्य बनाम नव भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी एआईआर 2005 एससी 4430: भारतीय खाद्य निगम बनाम सुरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र ट्रांसपोर्ट कंपनी (2003) 4 एससीसी 80 पर भरोसा किया गया। डब्ल्यू. बी. राज्य भण्डारण निगम एवं अन्य. वी. सुशील कुमार कायन और अन्य (2002) 5 एससीसी 679, संदर्भित ।

3. मध्यस्थों के समक्ष, प्रतिवादी ने एम. डी. एल. बी. के वेतन में अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान वैधानिक वृद्धि के परिणामस्वरूप दरों में वृद्धि के कारण दावे की मात्रा 27,91,984.29 रुपये निर्धारित की थी। अन्य श्रेणियों के श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के कारण 9,88,713.20

रुपये की अतिरिक्त राशि भी उसी आधार पर बताई गई थी। इसके अतिरिक्त, दावेदार को देय अंतिम भुगतान के लिए 8,63,953/- रुपये की वसूली का दावा 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया गया। एम. डी.एल.बी. श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि के कारण किसी भी राशि का दावा करने का प्रतिवादी का अधिकार स्थापित नहीं है। इसलिए, वृद्धि के कारण पहले दो दावों को मध्यस्थों द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकी और न ही उस दावे पर ब्याज के भुगतान के लिए आकस्मिक दावे को मंजूरी दी जा सकी। हालांकि, प्रत्यर्थी द्वारा अंतिम बिल को लेकर दर्शाये गये देय योग्य भुगतान के संबंध में दावे को अस्वीकार करने का कोई वास्तविक औचित्य नहीं था, खासकर जब अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रतिदावे को खारिज कर दिया गया हो और उक्त अस्वीकृति पर उच्च न्यायालय में पहले काेई सवाल नहीं उठाया गया हो। पंचाट के वैध हिस्से को अमान्य हिस्से से अलग करके बचाया जा सकता है। अपील आंशिक रूप से और इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि मध्यस्थों द्वारा दिया गया पंचाट 8,63,953/- रुपये की राशि को छोड़कर रद्द किया जाएगा जो राशि प्रतिवादी ठेकेदार को दिनांक 1 अप्रैल, 1985 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 09% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से ब्याज के साथ देय होगी। [पैरा 22, 23 और 24] [977-सी एच 978-ए-सी सी

निर्णय विधि संदर्भ

(1999) 8 एससीसी 122 पर भरोसा पैरा 16

(2002) 5 एससीसी 679 करने के लिए भेजा पैरा 18:

(2003) 8 एससीसी 154 पर भरोसा पैरा 19

(2004) 9 एससीसी 619 पर भरोसा पैरा 20

एआईआर 1992 एसी 232 पर भरोसा पैरा 21

एआईआर 1965 एससी 214 पर भरोसा पैरा 21

एईआर 2005 एससी 4430 पर भरोसा पैरा 21

(2003) 4 एससीसी 80 पर भरोसा पैरा 21

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 5286/2006.

अपील संख्या 884/1997, मध्यस्थता याचिका संख्या 19/1993 और के पंचाट संख्या 127/1992 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.04.2006 से।

श्याम दीवान, एम पी सावला, जय सावला, वासुमन खंडेलवाल अपीलार्थी की और से

एस. गणेश, अतुल देसाई, प्रताप वेनुगोपाल, सुरेखा रमन, दीप्ति, के.जे. ज़ॉन व कम्पनी प्रत्यर्थीगण की और से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

टी. एस. ठाकुर जे.

1 विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 अप्रैल 2006 के एक आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत 1997 की अपील संख्या 884 को अनुमति दी गई है, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है, और मध्यस्थों द्वारा बहुमत से पारित पंचाट को बहाल कर दिया गया।

2. अपीलकर्ता, भारत सरकार का उपक्रम, ने शुरुआत में 15 जनवरी 1983 से शुरू होने वाली एक वर्ष 14 जनवरी 1984 तक की अवधि के लिए मोर्मुगाओ बंदरगाह पर समाशोधन, अग्रेषण, सार संभाल और जहाज से माल उतारने व चढाने के लिए नौकरियों के आवंटन के लिए निविदाएं आमंत्रित की, जो निविदा

सूचना के खंड 2.03 में उल्लिखित गोदी मजदूरों के वेतन में वैधानिक वृद्धि को छोड़कर अपीलकर्ता के विकल्प पर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर विस्तार योग्य है। जवाब में प्रतिवादी ने एक निविदा प्रस्तुत की जिसे 10 जनवरी 1983 को उसके पक्ष में कार्य आदेश जारी करने के साथ स्वीकार कर लिया गया। यह सामान्य आधार है कि अपीलकर्ता ने अपनी संसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 1983 के द्वारा एन.आई.टी. के खंड 2.03 की शर्तों के अनुसार उपलब्ध विकल्प का प्रयोग किया और अनुबंध को 14 जनवरी 1985 को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।

3. उपरोक्त विस्तार को प्रतिवादी ने अपने संसूचना दिनांक 7 दिसंबर 1983 के संदर्भ में स्वीकार कर लिया था जिसमें • अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया था कि मोर्मुगाओ डॉक लेबर बोर्ड (संक्षिप्त एम.डी.एल.बी. के लिए) के वेतन में एक वर्ष की अवधि के दौरान हुए वैधानिक संशोधन पर अनुबंध अवधि बढाने के दौरान विचार किया जाना आवश्यक है। जवाब में, कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 27 जनवरी 1984 द्वारा बताया कि एन.आई.टी. की अनुसूची के खंड 2.03 में केवल 15 जनवरी 1984 तक किए गए वैधानिक संशोधनों के आधार पर वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जिसे दर वृद्धि प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए विचार किया जाएगा। अपीलकर्ता ने कहा, वेतन में बढ़ोतरी जिस पर बातचीत चल रही हो या बाद की तारीख में पूर्वव्यापी प्रभाव से दी गई हो, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी- कंपनी को इस आधार पर एमडीएलबी द्वारा अनुमत वेतन में किसी भी वृद्धि के संबंध में बिना किसी नए परिपत्र के जारी होने की प्रतिक्षा किये बिना 15 जनवरी 1984 तक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

4. उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि 15 जनवरी, 1984 को प्रभावी वेतन में कोई भी संशोधन विस्तारित संविदा अवधि के शुरू होने से पहले किसी भी समय अपीलकर्ता के समक्ष प्रदर्शित किया गया था। प्रतिवादी ने जो आरोप लगाया था वह यह था कि एम.डी.एल.बी. व श्रमिकों

के मध्य हुए समझौते के आधार पर प्रतिवादी को ऐसे श्रमिकों के वेतन में हुई वृद्धि के कारण देय मजदूरी के लिए 24.74 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि उपगत हुई थी। उक्त राशि की प्रतिपूर्ति का दावा तदनुसार प्रतिवादी कंपनी द्वारा अपीलकर्ता को उसकी ओर से दिए गए कानूनी नोटिस के संदर्भ में किया गया था, जिसे अपीलकर्ता द्वारा पक्षकारों के मध्य संविदा का भाग बने निविंदा आमंत्रित करने के नोटिस की अनुसूची II के खंड 2.03 के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने दावा किया कि प्रारंभ में जिन दरों पर अनुबंध किया गया, वह पंचाट की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के दौरान स्थिर रहने की और वे किसी भी वृद्धि का विषय नहीं थी। इसी प्रकार विस्तारित अवधि के दौरान भी दरें 15 जनवरी 1984 तक किये गये किसी भी वैधानिक संशोधन पर विचार किए जाने के अध्ययधीन स्थिर रहनी थी। एम.डी.एल. बी. द्वारा गोदी मजदूरों को देय मजदूरी में कोई पश्चातवर्ती वृद्धि चाहे वह पूर्वव्यापी रूप से की गई हो। अपीलार्थी के अनुसार पूर्णतया यह पूरी तरह अप्रासंगिक थी।

5. इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे को अस्वीकार करने से एक विवाद उत्पन्न हो गया, जो अनुबंध के संदर्भ में निर्णयन के लिए तीन मध्यस्थों के एक पैनल को भेजा गया था। मध्यस्थों के समक्ष, अपीलकर्ता ने गुण-दोष के आधार पर और इस आधार पर भी दावे का खंडन किया था कि वह परिसीमा के आधार पर वर्जित था। मध्यस्थों ने अपने सामने रखे विरोधी दलीलों की जांच की लेकिन खंड 2.03 की वास्तविक और सही

व्याख्या पर सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचने में असफल रहे। इसलिए, दो पंचाट दिए गए, एक श्री आर. पी. भट्ट द्वारा जिन्होंने दावे को खारिज कर दिया और दूसरा मैसर्स आर. सी. कूपर और एन. ए. मोदी द्वारा जिन्होंने यह निर्धारित किया कि प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी से 61,73,067.90 रुपये की एकमुश्त राशि वसूलने के हकदार है। यह उल्लेखनीय है कि जबकि श्री आर. पी. भट्ट द्वारा दिया गया पंचाट एक तर्कसंगत पंचाट था, जो अन्य दो मध्यस्थों द्वारा नहीं दिया गया था।

6. बहुमत के पंचाट से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इसे रद्द करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 1993 की मध्यस्थता याचिका संख्या 19 दायर की। बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश (एस.एन. वरियावा, जे. जो उस समय उनके अधिपति के रूप में थी) ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और यह कहते हुए पंचाट को रद्द कर दिया कि यह पक्षकारों के बीच निष्पादित अनुबंध का भाग बनने वाले एनआईटी के खंड 2.03 के विपरीत था। यहां तक कि परिसीमा का तर्क भी विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सफल रही, जिन्होंने माना कि 'प्रतिवादियों द्वारा किया गया दावा समय से बाधित था!' निडर होकर प्रतिवादियों ने 1997 की अपील संख्या 884 में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष उक्त आदेश की आलोचना की, जिसने अपील की अनुमति दी, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और दो मध्यस्थों द्वारा बहुमत से दिये गये पंचाट को बहाल कर दिया: उच्च

न्यायालय यह विचार लिया कि मध्यस्थों के बहुमत द्वारा पक्षकारों के बीच अनुबंध के खंड 2.03 की की गई व्याख्या एक तार्किक व्याख्या थी जो उनके द्वारा दिए गए पंचाट के लिए एक ठोस आधार प्रदान कर सकता था।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होते हुए, श्री श्याम दीवान ने इस आधार पर पंचाट की वैधता को चुनौती नहीं दी कि प्रतिवादी द्वारा किया गया दावा परिसीमा से वर्जित था। विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया एकमात्र बिंदु यह था कि उच्च न्यायालय ने अनुबंध की धारा 2.03 की व्याख्या करते समय त्रुटि की थी। श्री दीवान ने तर्क दिया कि खंड 2.03 को पढ़ने से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि एम.डी.एल. बी. के गोदी श्रमिकों को देय वेतन में किसी भी संशोधन के बावजूद अनुबंध के तहत निर्धारित दरें पहले वर्ष के लिए स्थिर रहेंगी। दूसरे वर्ष के लिए भी दरें स्थिर रहेंगी, केवल इस शर्त के अधीन कि मजदूरी में वैधानिक संशोधन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखा जाएगा। श्री दीवान के अनुसार खंड 2.03 को पढ़ने से जो स्पष्ट था वह यह था कि केवल ऐसे वैधानिक संशोधन जिनके बारे में अनुबंध अवधि की शुरुआत की तारीख तक आदेश दिए गए थे, वे ही विचार के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थे। संविदा अवधि के प्रारंभ होने के बाद किए गए किसी भी संशोधन की विस्तारित अवधि के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, भले ही इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया हो। चूँकि डिवीजन बेंच ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था, इसने न केवल एक

गलती की थी जो स्पष्ट थी, बल्कि दस्तावेजों के अर्थान्वयन के संचालक सिद्धांतों की भी अनदेखी थी।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गणेश ने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 और 33 के तहत मध्यस्थता पंचाट में हस्तक्षेप करने की इस न्यायालय की शक्ति बहुत सीमित थीं। उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ इसलिए कि मध्यस्थों द्वारा अपने फैसले के समर्थन में दी गई व्याख्या से भिन्न व्याख्या समान रूप से विश्वसनीय थी, इससे न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का मामला नहीं बनता है। मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा चुने हुए निर्णयाक होते है। उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचार पक्षकाराेंं पर बाध्यकारी होंगे। भले ही वह गलत पाया जाये और कोई वैकल्पिक दृष्टिकाेण समान रूप से या उससे अधिक विश्वसनीय है। उन्होंने आग्रह कि या कि एन.आई.टी. के खंड 2.03 की उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच ने सही व्याख्या की थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. मध्यस्थों द्वारा दिए गए पंचाट की वैधता पूरी तरह से खंड 2.03 को यर्थात एवं वास्तविक रूप से सही पढ़ने पर आधारित है। वह उपवाक्य निम्नलिखित शब्दों में है:

"2.03: इस बात पर सहमति है कि यदि कंपनी खंड 2.01 में वर्णित अवसान अवधि से अनुबंध को एक वर्ष की

अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक महीने का नोटिस देती है, तो ठेकेदार मोरमुगाओ डॉक लेबर बोर्ड द्वारा अनुमत गोदी श्रमिक की मजदूरी में वैधानिक वृद्धि को छोड़कर, ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान इसमें निहित उन्हीं नियमों एवं शर्तों के अधीन कार्य जारी रखने और सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होगा। जिसके लिए ठेकेदार द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा....."

नोट: ऊपर प्रथम और द्वितीय वर्ष के सामने दर्शाई गई दरें समय-समय पर एमडीएलई के परिपत्रों से ली गई है। लेकिन जिन दरों पर शुरू में अनुबंध किया गया है वो विचार किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के दौरान स्थिर रहेगी और किसी भी तरह से वृद्धि के अध्ययधीन नहीं होगी। इसी प्रकार, गोदी श्रमिक के वेतन में वैधानिक वृद्धि, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, एक वर्ष की विस्तारित अवधि के लिए अनुमत दरें भी एक वर्ष की विस्तारित अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी और किसी भी वृद्धि के अधीन नहीं होंगी। चाहे, मोर्मुगाओ डॉक लेबर बोर्ड द्वारा पूर्वव्यापी रूप से गोदी श्रमिकों की मजदूरी में बाद में कोई वृद्धि की गई हो।

10. उपरोक्त को सावधानीपूर्वक पढने पर विशेष रूप से खंड 2.03 (सुप्रा) के साथ संलग्न नोट कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि जिस दर पर

अनुबंध शुरू में दिया गया था वह अनुबंध दिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान स्थिर रहना था महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले वर्ष के लिए उक्त दर उस अवधि के दौरान की गई किसी भी वृद्धि, संशोधन या अन्य वैधानिक बढ़ोतरी के बावजूद अपरिवर्तित थी। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री गणेश ने भी काफी हद तक स्वीकार किया कि जहां तक अनुबंध के पहले वर्ष का सवाल है, दरें किसी भी संशोधन के अधीन नहीं थीं और स्थिर रहनी थी। यदि ऐसा है, तो सवाल यह है कि नोट के उत्तरार्ध में उस सिद्धांत में कितना बदलाव किया गया है जो अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान लागू दरों से संबंधित है। नोट के खंड 2.03 के उस हिस्से को पढ़ने से तीन अलग- अलग पहलू सामने आते हैं। सबसे पहले, विस्तारित अवधि के लिए लागू दरों से संबंधित नोट का दूसरा भाग 'समान रूप से' शब्द से शुरू होता है। उस अभिव्यक्ति का उपयोग करके नोट पहले वर्ष के दौरान लागू दरों की दृढ़ता और दूसरे वर्ष की विस्तारित अवधि के लिए लागू दरों के बीच एक अनुरूपता लाता है। नोट में अंतर्निहित भावना यह है कि पक्षकार लागू दरों को न केवल पहले वर्ष के लिए बल्कि दूसरे वर्ष के लिए भी स्थिर रखने का इरादा रखते हैं।

11. नोट को पढ़ने से जो दूसरा पहलू सामने आता है, वह यह है कि दूसरे वर्ष के लिए दरों को गोदी मजदूरों को देय मजदूरी में वैधानिक वृद्धि, यदि कोई हो को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना था, जो दर एक बार तय होने के बाद स्थिर रहने थी और किसी भी वृद्धि से अप्रभावित

थी। इस प्रकार पहले और दूसरे वर्ष की दरों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि दूसरे वर्ष के लिए भी दरें स्थिर थीं, लेकिन इसे गोदी मजदूरों की मजदूरी में हुई वैधानिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना था।

12. तीसरा पहलू जो हमारी राय में पक्षकारों के वास्तविक इरादे के बारे में सभी संदेहों को दूर करता है, वह यह है कि गोदी मजदूरों की मजदूरी में किसी भी पश्चातवृत्ति वृद्धि का परिणाम दरों में वृद्धि नहीं होगी, यहां तक कि एम.डी.एल.बी द्वारा ऐसा संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किया गया है। हमारी राय में, नोट में यह परिकल्पना की गई है कि पहले वर्ष की समाप्ति पर और विस्तारित अनुबंध अवधि की शुरुआत में, लागू दरों को उन संशोधनों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए जो कि विस्तारित अवधि की शुरूआत की तारीख के समय प्रभाव में आ चुके थे। नोट को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि एक बार एक विकल्प का प्रयोग करने के बाद विस्तारित अवधि के लिए लागू दर को वेतन में संशोधन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाएगा। ऐसा कोई भी संशोधन आवश्यक रूप से विस्तारित अवधि के प्रारंभ होने की तिथि पर किया जाना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने पर उक्त दर दूसरे वर्ष के अंत तक स्थिर रहेगी। हमारी राय में, अनुबंध विस्तारित अवधि के प्रारंभ होने के बाद किसी भी चरण के संदर्भ में दर के निपटान या संशोधन की परिकल्पना नहीं करता है। अन्यथा भी विस्तारित अवधि के लिए एक अनुबंध केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब उस अवधि के लिए लागू दरें

निश्चित हो चुकी हो या सुनिश्चित किये जाने योग्य है। वास्तव में 15 जनवरी, 1984 जिस दिन विस्तारित अवधि आरंभ हुई, के संबंध में दरें वास्तव में निर्धारित है या निर्धारित किये जाने योग्य है, उस तिथि तक किए गए वेतन में संशोधन इसमें शामिल किये जा सकते है। गोदी मजदूरों के वेतन में कोई भी संशोधन जो एमडीएलबी ने 15 जनवरी, 1984 के बाद कोई आदेश दिया हो, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, भले ही ऐसा संशोधन विस्तारित अवधि की शुरुआत की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से किया गया हो। नोट यह पूर्णतया स्पष्ट करता है कि पूर्वव्यापी रूप से दिए गए संशोधन का कोई भी परिणाम नहीं होगा।

13. यहां एक अन्य दृष्टिकोण है जिससे मामलों को देखा जा सकता है। पक्षकारों ने खंड 2.03 को कैसे समझा यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। अनुबंध के विस्तार को स्वीकार करते समय, उत्तरदाताओं-ठेकेदार ने केवल पिछले वर्ष के दौरान एम. डी. एल. बी. द्वारा मजदूरी में वैधानिक संशोधन का उल्लेख किया था। चूंकि स्वीकृति पत्र 7 दिसंबर 1983 का है, इसलिए ठेकेदार जिस वैधानिक संशोधन पर विचार करना चाहता था, वह 1983 से पहले के संशोधन थे, न कि अनुबंध की विस्तारित अवधि के पश्चात् के थे। यह स्थिति 7 दिसम्बर 1983 के स्वीकृति पत्र में छपी निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है:

"हालांकि, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि पिछले 1 वर्ष के दौरान मोर्मुगाओ डॉक लेबर बोर्ड के वेतन में कई वैधानिक संशोधन हुए हैं, जिन पर आपको हमारी अनुबंध अवधि बढ़ाते समय विचार करना होगा। इस संबंध में, अधोहस्ताक्षकर्ता के निकट भविष्य में आपके कार्यालय में संपर्क करेंगे और व्यक्तिगत रूप से इस पर चर्चा करेगा और हम इस संबंध में आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं।"

14. उपरोक्त के उत्तर में भेजे गए अपीलार्थी के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1984 ने प्रतिवादी को यह स्पष्ट कर दिया कि एनआईटी के खंड 2.03 में 15 जनवरी, 1984 के बाद के संशोधन के आधार पर वृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई थी, भले ही ऐसे संशोधन पर गोदी श्रमिकों द्वारा एम. डी. एल. बी. के साथ पहले से ही चर्चा या बातचीत की जा रही है। उक्त संसूचना का निम्नलिखित अंश स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है :

"एनआईटी की अनुसूची के खंड 2.03 की एक प्रति संलग्न है। इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि एमडीएलबी द्वारा 15.1.84 तक जो भी बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है, केवल उसे वृद्धि के प्रयोजनार्थ विचार में लिया जा सकता है, न कि वेतन में हुई उन बढोतरी को जिस पर बातचीत चल

रही है, जिसके लिए भूतलक्ष्य प्रभाव से दिनांक 15.1.84 के बाद एमडीएलबी परिपत्र जारी किया जाएगा।"

15. उपरोक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना सही है कि मध्यस्थों द्वारा जिस हद तक अतिरिक्त राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया था, वह पोषणीय नहीं था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाने और यह मानने में गलती की कि मध्यस्थों द्वारा की गई व्याख्या एक विश्वसनीय व्याख्या थी।

16. यह हमें इस प्रश्न पर लाता है कि क्या एक मध्यस्थ निष्पादित अनुबंध की शर्तों के विपरीत कोई पंचाट दे सकता है।

यह प्रश्न अब इस न्यायालय के निर्णयों की लंबी श्रृंखला द्वारा विनिश्चिति किये जाने के उपरांत पूर्णतया नया नहीं रहा है। हालांकि यह सच है कि अदालत मध्यस्थों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षो एवं यहां तक कि यदि कानून के प्रश्न को उन्हें विनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है तो उस पर उनके द्वारा व्यक्त की गई राय के प्रति सम्मान दिखाती हैं फिर भी यह भी उतना ही सच है कि मध्यस्थों के पास पक्षकारों के बीच निष्पादित अनुबंध की विशिष्ट शर्तों के खिलाफ पंचाट देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस संबंध में, स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम जे.सी. बुधराजा, सरकार और खनन ठेकेदार, (1999) 8 एससीसी

122 में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां इस न्यायालय ने कहा था :

> ".....यह स्थापित कानून है कि मध्यस्थ को अनुबंध से अधिकार प्राप्त होता है और यदि वह अनुबंध की स्पष्ट अवहेलना करता है, तो उसके द्वारा दिया गया पंचाट मनमाना होगा: अनुबंध से यह जानबूझकर विचलन न केवल प्राधिकरण की अवहेलना या उसके हिस्से पर कदाचार को दर्शाता है, बल्कि यह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के समान हो सकता है...."
>
> ".... यह सच है कि करार में किसी विशेष शर्त की व्याख्या मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में होगी। हालांकि, उन मामलों में जहां अनुबंध की किसी भी शर्त की व्याख्या का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा ही पढना है और फिर भी मध्यस्थ इसे अनदेखा करता है और करार में निषेध के बावजूद राशि का फैसला करता है, तो पंचाट मनमाना, सनकी और अधिकार क्षेत्र के बिना होगा। क्या मध्यस्थ ने अनुबंध की शर्तों से परे कार्य किया है या अपने अधिकार क्षेत्र से परे गया है, यह तथ्यों पर निर्भर करेगा, जो हालांकि क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य होंगे, और अदालत द्वारा इस पर

विचार किया जाना आवश्यक है। मध्यस्थ के पास दावे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार हो सकता है और फिर भी अनुबंध में निहित निषेध के मद्देनजर उसके पास विशेष वस्तुओं के लिए पंचाट पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है और ऐसे मामलों में, यह एक क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि होगी...."

17. आगे यह भी प्रेक्षित किया गया :

"......इसके अलावा, मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थ को मनमाने ढंग से या स्वेच्छा से कार्य करने की कोई शक्ति नहीं देता है। उसका अस्तित्व करार पर निर्भर करता है और उसका कार्य उक्त करार की सीमाओं के भीतर कार्य करना है....."

18. पश्चिम बंगाल राज्य भण्डारण निगम एवं अन्य बनाम सुशील कुमार कायन और अन्य (2002) 5 एससीसी 679, में फिर से इस न्यायालय ने कहा:

".....यदि अनुबंध या कानून में कोई विशिष्ट शर्त है जो पक्षकारान को मध्यस्थ के समक्ष एक मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं देती है और यदि अनुबंध में मुद्दे को उठाने के

लिए एक विशिष्ट रोक है, तो मध्यस्थ द्वारा उसके संबंध में दिया गया पंचाट उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा....."

19. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन (2003). 8 एससीसी 154 में, इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया:

"अधिकार क्षेत्र के भीतर त्रुटि और क्षेत्राधिकार से अधिशेष की त्रुटि के बीच स्पष्ट अंतर है। इस प्रकार, मध्यस्थ की भूमिका अनुबंध की शर्तों के भीतर मध्यस्थता करना है। उसके पास पक्षकारान द्वारा अनुबंध के तहत उसे दी गई शक्तियों के अलावा शक्तियां नहीं है। यदि वह अनुबंध से बाहर चला गया है, तो वह अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करेगा, जबकि यदि वह अनुबंध के मापदंडों के अंदर रहा है तो उसके पंचाट पर उस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि अभिलेख को देखने मात्र से उसमें स्पष्ट त्रुटि है।"

20. एमडी, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन बनाम सुमंगल सर्विसेज (पी) लिमिटेड (2004) 9 एससीसी 619 में भी इस न्यायालय ने समान दृष्टिकोण अपनाया और कहा

"एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कानून की अदालत नहीं है। इसके आदेश न्यायिक आदेश नहीं है। इसके कार्य न्यायिक

कार्य नहीं हैं। यह एक्स डेबिटो जस्टिसिया से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र करार के चारों कोनों तक सीमित है, वह केवल ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो निर्देश की विषय वस्तु हो सकती है।"

21. एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (एआईआर 1992 एससी 232), जीवराज भाई उजामशी शेठ और अन्य वी. चिंतामनराव बालाजी और अन्य (एआईआर 1965 एससी (214)। राजस्थान राज्य बनाम नव भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी (एआईआर 2005 एससी 4430), भारतीय खाद्य निगम बनाम सुरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र ट्रांसपोर्ट कंपनी (2003) 4 एससीसी 80, में इस न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ दिया जा सकता है जो इस विषय पर कानून की पर्याप्त रूप से तय करता है।

22. यह हमारे सामने यह सवाल छोड़ता है कि क्या पंचाट के वैध हिस्से को अमान्य हिस्से से अलग करके बचाया जा सकता है। मध्यस्थों के समक्ष प्रतिवादी अध्यक्ष ने अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान एम. डी. एल. बी. के वेतन में वैधानिक वृद्धि के परिणामस्वरूप दरों में वृद्धि के कारण दावे की मात्रा 27,91,984.29 रुपये निर्धारित की थी। अन्य श्रेणियों के श्रमिकों जैसे टेली क्लर्क, स्टिचर्स, फोरमैन, असिस्टेंट फोरमैन, सुपरवाइजर आदि के वेतन में वृद्धि के कारण 9,88,713.20 रुपये की

अतिरिक्त राशि भी उसी आधार पर बताई गई थी। इसके अलावा, इसी आधार पर अंतिम भुगतान के लिए रु. 8,63,953/- की वसूली का दावा, जो दावेदार को 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ देय होगा बनाया गया था।

23. इस आदेश के पहले भाग में चर्चा के आलोक में प्रतिवादी का एम.डी.एल.बी. के श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई वृद्धि के कारण किसी भी राशि का दावा करने का अधिकार स्थापित नहीं है, इसलिए वृद्धि के कारण ऊपर उल्लिखित पहले दो दावों को मध्यस्थों द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकी और न ही उस दावे पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रासंगिक दावे को मंजूरी दी जा सकी। फिर सवाल यह है कि क्या उत्तरदाताओं द्वारा उसके अंतिम बिल के लिए दावेदार को देय शेष राशि का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र अन्य दावे को अस्वीकार करने का कोई कानूनी औचित्य है। अपीलकर्ता ने उस दावे पर जो एकमात्र प्रतिरक्षा ली है वह परिसीमा के कानून पर आधारित था। उस बचाव को श्री दीवान द्वारा वापस ले लिए जाने के बाद, हमें उक्त दावे को अस्वीकार करने का कोई वास्तविक औचित्य नहीं दिखता, खासकर जब अपीलकर्ता द्वारा किया गया प्रतिदावा खारिज कर दिया गया हो और उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त अस्वीकृति पर सवाल नहीं उठाया गया हो। श्री दीवान के प्रति निष्पक्षता में हमें यह कहना चाहिए कि उन्होंने मध्यस्थों द्वारा दिए गए पंचाट के पृथक्करण का गंभीरता से विरोध नहीं किया ताकि खंड 2.03 की व्याख्या

के आधार पर दावे के अस्वीकार्य भाग को स्वीकार्य भाग से अलग किया जा सके।

24. परिणामस्वरूप हम इस अपील को स्वीकार करते हैं लेकिन केवल आंशिक रूप से इस हद तक कि मध्यस्थों द्वारा दिया गया पंचाट 8,63,953/- रुपये की राशि को छोड़कर रद्द कर दिया जाएगा, जो राशि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रतिवादी-ठेकेदार को 1 अप्रैल, 1985 से उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक देय होगी।

25. पक्षकारान को पूरी कार्यवाही के दौरान अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

अपील आशिक रूप से स्वीकार की गई ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनूप कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।